भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न 2876

10 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करना

2876. श्री राहुल गांधीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने 2021 में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से वादा किया था कि वह सभी फसलों के लिए सी2+50% की दर से विधिक गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इसे लागू न कर पाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को किसानों को एमएसपी बोनस देने की परिपाटी बंद करने के लिए लिखा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत द्वारा उत्पादन घाटे का सामना की जाने वाली कतिपय दालों और तिलहन जैसी फसलों की सीधी खरीद पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या अमेरिका के साथ संयुक्त वक्तव्य में "गैर-व्यापार बाधाओं" को कम करने की प्रतिबद्धता से करोड़ों किसानों की रक्षा करने वाली भारत की आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों, एमएसपी और सार्वजनिक खरीद संबंधी नीतियों में परिवर्तन आएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) और (ख): प्रत्येक वर्ष, सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर पूरे देश के लिए 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के लिए पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 50 प्रतिशत के न्यूनतम रिटर्न के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी, जिससे देश भर के किसान लाभान्वित हुए हैं।

(ग): सचिव (व्यय) द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों को 9 जनवरी 2026 को एक पत्र लिखा गया था, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी बोनस नीतियों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए थे।

(घ) और (ङ): सरकार किसानों को मूल्य समर्थन प्रदान करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और अन्य नामित राज्य एजेंसियों के माध्यम से अनाज और मोटे अनाज की खरीद करती है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत मूल्य समर्थन योजना के तहत दलहन, तिलहन और कोपरा की खरीद संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से तब की जाती है, जब भी इन उत्पादों का बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे आ जाता है। पीएम-आशा योजना के तहत खरीद एजेंसियां भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड) और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (एनसीसीएफ) हैं। सरकार द्वारा भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कपास और पटसन की खरीद क्रमश: भारतीय कपास निगम (सीसीआई) और भारतीय पटसन निगम (जेसीआई) के माध्यम से की जाती है।

घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए, पूर्व-पंजीकृत किसानों से अरहर, उड़द और मसूर की खरीद वर्ष 2030-31 तक दलहन आत्मनिर्भरता मिशन के तहत केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है।

बढ़े हुए एमएसपी से देश के किसानों को लाभ हुआ है, जो पिछले तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय खरीद और किसानों को भुगतान की गई एमएसपी राशि के विवरण से स्पष्ट है, जो निम्नानुसार है:

<u>एमएसपी फसलों की खरीद और न्यूनतम समर्थन मूल्य</u>

सभी एमएसपी फसलें	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
कुल खरीद (लाख मीट्रिक टन में)	1,118	1,089	1,175
कुल एमएसपी मूल्य (लाख करोड़ में)	2.47	2.63	3.33

व्यापार संबंधी मुद्दों पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार समय-समय पर उचित निर्णय लेती है।

*****